न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 102/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आईसीआईसीआई होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी अनुज रावल
रजिस्टर्ड कार्यालयः– बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, पुराना पादरा रोड़ वड़ोदरा, गुजरात–390007
कॉरपोरेट कार्यालयः– बैंक टॉवर, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र–400051
रिजनल कार्यालय पताः– जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भवन, ब्लॉक नम्बर 4, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, राज.–302017
शाखा कार्यालयः– चतुर्थ तल, भास्कर हाईट्स बिल्डिंग, फ्रंट फेसिंग ऑफिस नं. 1, कल्याण हास्पिटल के पास, सिल्वर जुबली रोड़, सीकर, राज.–332001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सलीमुद्दीन मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल,**
   प्रथम पताः– सिटी हॉस्पिटल के सामने, फतेहपुर रोड़, वार्ड संख्या 03, सीकर, राजस्थान 332001
   द्वितीय पताः– चांदपोल के अन्दर सीकर राजस्थान 332001
   तृतीय पताः–वार्ड संख्या 27 एफ 7, पुराना 33 नया कोतवाली के पास सीकर राजस्थान 332001
   चतुर्थ पताः–मैसर्स सुहाग लाख चुड़ी मेन्युफक्चर, चांदपोल बाजार के अन्दर, सीकर, राजस्थान 332001
   पंचम पताः–प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी के पारा, सीकर राजस्थान 332001
2. **मो. सिकन्दर मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल**
   प्रथम पताः– प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी के पास, सीकर राजस्थान 332001
   द्वितीय पताः– वार्ड संख्या 02, सिटी हॉस्पिटल के सामने, फतेहपुर रोड़, सीकर, राजस्थान 332001
3. **जाकिर मुगल पुत्र सलीमुद्दीन**
   प्रथम पताः– प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी के पास, सीकर राजस्थान 332001

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

द्वितीय पताः–खटिकान प्याउ, सिटी हॉस्पिटल के सामने, मुगल हाउस, वार्ड संख्या 03, सीकर राजस्थान 332001

4. **जीनत बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल पत्नी सलीमुद्दीन**
   प्रथम पताः–सुहाग बैंगल्स, शॉप संख्या एफ 7, फर्स्ट फ्लोर, इन्द्रप्रस्थ मार्केट, तबेला बाजार सीकर राज. 332001
   द्वितीय पताः– प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी के पास, सीकर राजस्थान 332001
   तृतीय पताः– सिटी हॉस्पिटल के सामने, फतेहपुर रोड़, वार्ड संख्या 03, सीकर, राजस्थान 332001
5. **मो. अनवर** मुगल हाउस इस्लामपुर फतेहपुर रोड़ सीकर राज. 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 5 क्रमशः **सलीमुद्दीन मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल, मो. सिकन्दर मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल, जाकिर मुगल पुत्र सलीमुद्दीन, जीनत बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल पत्नी सलीमुद्दीन व मो. अनवर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक
   प्रथम अचल सम्पत्तिः– फर्स्ट फ्लोर गोदाम संख्या एफ 7 वार्ड संख्या 27 पुराना 33 नया, कोतवाली के पास धोबियान काम्पलेक्स इंद्रप्रस्थ तहसील व जिला सीकर राज. 332001 में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200.16 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में गोदाम संख्या एफ 6, दक्षिण दिशा में कोरिडोर व रास्ता, पूरब दिशा में गोदाम संख्या एफ 8 व पश्चिम दिशा में कोरिडोर व रास्ता है।
   द्वितीय अचल सम्पतिः– आवासीय प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1, शिव कॉलोनी सबलपुरा पॉवर हाउस के पास, तहसील व जिला सीकर राजस्थान 332001 में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सम्पति के अभिन्न अंग

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 206.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में जमीन मोबिन, मोतीलाल, दक्षिण दिशा में रास्ता 30 फीट चौड़ा, पूरब दिशा में जमीन किशनलाल व पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 33 सरवर पुत्र समसुदीन है।
उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **₹42,60,000/– (अक्षरे रूपये बयालिस लाख साठ हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 5 क्रमशः **सलीमुद्दीन मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल, मो. सिकन्दर मुगल पुत्र मो. याकुब मुगल, जाकिर मुगल पुत्र सलीमुद्दीन, जीनत बानो पुत्री मोहम्मद इकबाल पत्नी सलीमुद्दीन व मो. अनवर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक
प्रथम अचल सम्पत्तिः– फर्स्ट फ्लोर गोदाम संख्या एफ 7 वार्ड संख्या 27 पुराना 33 नया, कोतवाली के पास धोबियान काम्पलेक्स इंद्रप्रस्थ तहसील व जिला सीकर राज. 332001 में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सम्पति

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 200.16 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में गोदाम संख्या एफ 6, दक्षिण दिशा में कोरिडोर व रास्ता, पूरब दिशा में गोदाम संख्या एफ 8 व पश्चिम दिशा में कोरिडोर व रास्ता है।

द्वितीय अचल सम्पतिः– आवासीय प्लॉट संख्या 34, वार्ड संख्या 1, शिव कॉलोनी सबलपुरा पॉवर हाउस के पास, तहसील व जिला सीकर राजस्थान 332001 में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 206.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में जमीन मोबिन, मोतीलाल, दक्षिण दिशा में रास्ता 30 फीट चौड़ा, पूरब दिशा में जमीन किशनलाल व पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 33 सरवर पुत्र समसुदीन है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर